डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 306 / फा0सं0–499 / एच0ओ0डी0 / डॉ.श.मि.रा.पु.वि. / 2020–21 — दिनांक: 17 जून, 2020

कार्यालय–आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–28 में व्यवस्थानुसार "(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा। (2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वहीं होंगी जैसा विहित किया जाए"।

तत्क्रम में विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय–5 में विभागों के अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में धारा–5.05 से 5.09 में दी गई व्यवस्था एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 12 / 06 / 65–3–2014 दिनांक: 10.01.2014 में वर्णित व्यवस्था के क्रम में डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर को हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग का विभागाध्यक्ष नामित किया जाता है। विभागाध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं प्रथम परिनियमावली में दी गई संगत व्यवस्थाओं के अधीन अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

विभागाध्यक्ष के दायित्व के निवर्हन के लिए डॉ0 सिंह को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन, भत्ते अथवा मानदेय आदि देय नहीं होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 कुलपति, विश्वविद्यालय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय।
4. कुलानुशासक / परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी।
7. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. विश्वविद्यालय की बेवसाइट हेतु।
10. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव